



# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

विज्ञापन क्रमांक 09/परीक्षा/2010/30.08.2010

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 04.10.2010

## महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2010 (दोपहर 12.00) से 04.10.2010 (रात्रि 12.00 बजे) तक [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) पर भरे जा सकते हैं।

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के अंतर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं वंदोवस्त के अंतर्गत निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र.	पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या			
			अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.
1.	सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst)	01	01	00	00	00
2.	प्रोग्रामर (Programmer)	01	01	00	00	00

टीप- (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।  
(ii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।

### दो. पद का विवरण-

- (अ) पद का नाम : सिस्टम एनालिस्ट  
(System Analyst)
- (ब) विभाग का नाम : राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं वंदोवस्त
- (स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (द) पद स्थिति : स्थायी
- (इ) वेतनमान : रुपये 15600-39100 - पे ग्रेड 5400 तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (ज) अनिवार्य अर्हता : शैक्षणिक- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. (कम्प्यूटर)/बी.टेक. (कम्प्यूटर)/एम.सी.ए., प्रथम श्रेणी में।  
B.E. (Computer)/B.Tech. (Computer)/M.C.A. (in First Class) from recognised University.

अनुभव- कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।  
Atleast Five Year experience in Computer Programming.

(फ) कर्तव्य : भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य।

- (अ) पद का नाम : प्रोग्रामर  
(Programmer)
- (ब) विभाग का नाम : राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं वंदोवस्त
- (स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (द) पद स्थिति : स्थायी
- (इ) वेतनमान : रुपये 15600-39100 - पे ग्रेड 5400 तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (ज) अनिवार्य अर्हता : शैक्षणिक- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. (कम्प्यूटर)/बी.टेक. (कम्प्यूटर)/एम.सी.ए., प्रथम श्रेणी में।  
B.E. (Computer)/B.Tech. (Computer)/M.C.A. (in First Class) from recognised University.

अनुभव- कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।  
Atleast Two Year experience in Computer Programming.

(फ) कर्तव्य : भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य।

1. आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं अंतिम तिथि, तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
  2. संबंधित उपाधि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की होनी चाहिए।
- तीन
1. उक्त पद अनारक्षित हैं। अतः उक्त पदों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा तथा न्यूनतम उत्तीर्णक में कोई छूट नहीं दी जायेगी। केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु यात्रा व्यय इस विज्ञापन के परिशिष्ट (2) की कड़िका 9 में विहित शर्तों के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।
  2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

- चार. आयु सीमा- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष पूर्ण न की हो। आयु संगणना तिथि 01.01.2011 होगी। आयुसीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये परिशिष्ट-एक देखें।
- मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

- पांच. मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -
- अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  - ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छः. महत्वपूर्ण- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

सात. अधिवार्षिकी आयु- 60 वर्ष

आठ. चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तों के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुणा के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। पर्याप्त संख्या में आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक पाने वाले आवेदक उत्तीर्ण किये जा सकेंगे। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया जायेगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मुल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।

### चयन विधि-

1. आवेदक सिस्टम एनालिस्ट तथा प्रोग्रामर में से किसी एक पद के लिए अथवा दोनों पदों के लिये आवेदन कर सकेंगे। आवेदक इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं। तत्पश्चात् ही आवेदन करें।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प हैं- (A) सिस्टम एनालिस्ट हेतु (B) प्रोग्रामर हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु। दोनों पदों हेतु वे आवेदक ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों।
3. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद में उसका आवेदन-पत्र क्रमांक अंकित होगा जिसका प्रथम दो अक्षर उसके द्वारा भरे गये पद विकल्प के आधार पर SA, SB तथा SC होगा। आवेदक को रोल नंबर आवंटित करते समय भी उसके रोल नंबर का प्रथम अक्षर उसके द्वारा भरे गये पद विकल्प के आधार पर A, B या C होगा।
4. लिखित परीक्षा संयुक्त रूप से होगी तथा लिखित परीक्षा के आधार पर A तथा C श्रेणी के आवेदकों को मैरिट सूची निर्मित कि जायेगी जिसके गुणानुक्रम के आधार पर सिस्टम एनालिस्ट के पद हेतु विज्ञापित पद के तीन गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। समान रीति से B तथा C श्रेणी के आवेदकों को मैरिट सूची निर्मित कर उन्हें प्रोग्रामर के पद हेतु विज्ञापित पद के तीन गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
5. साक्षात्कार के पश्चात् अंतिम सूची A + C (सिस्टम एनालिस्ट) तथा B + C (प्रोग्रामर) के आधार पर बनाई जायेगी। A + C (सिस्टम एनालिस्ट) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो आवेदक होंगे वे प्रोग्रामर के पद हेतु भी विचारित किये जायेंगे।

नौ. परीक्षा की तिथि- 5.12.2010.

दस. परीक्षा केंद्र- लिखित परीक्षा इंदौर तथा भोपाल परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों की संख्या कम की जा सकती है।

ग्यारह. आवेदन प्रक्रिया- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

बारह. प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया- अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) अथवा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) या [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) से डाउनलोड कर सकेंगे। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्रों की उपलब्धता की सूचना उक्त वेबसाइटों के अतिरिक्त समाचार पत्रों से भी दी जायेगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्मतिथि की प्रविष्टि करनी होगी।

तेरह. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। नूटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक नया आवेदन-पत्र भर सकते हैं किन्तु ऐसे आवेदकों के पूर्व आवेदन/ आवेदनों हेतु जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 4.10.2010 के बाद दिनांक 5.10.2010 से 15.10.2010 तक ऑनलाइन आवेदन पत्रों में सुधार कराय जा सकता है। इस हेतु आवेदक को स्वयं वांछित सुधार के प्रमाण हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयोग कार्यालय आना होगा। रुपये 50/- नूटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात् वांछित सुधार किया जा सकेगा।

चौदह. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो पता परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन पत्र आयोग को तत्काल प्रस्तुत करें। यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किंतु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है।

पंढर. आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

- आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-एक**
- आवेदन-पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारीयों **परिशिष्ट-दो**
- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-तीन**

#### परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में छूटें

- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
- विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।  
**टीपः-** ऐसी महिला आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी, जिसकी सब छूटें जोड़कर अधिवाषिकी आयु हो जाये। (पद की अधिवाषिकी आयु 60 वर्ष है)
- मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।**
- ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।  
**स्पष्टीकरण-** छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रशिक्षण सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें

- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी।
- आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी।
- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप-

- परिशिष्ट-एक (एक)** में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिंदु क्रमांक (एक) के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।
- परिशिष्ट-एक (दो)** के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कायों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट परिशिष्ट एक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।
- मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी। ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ट-1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम देय वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।**

नोट- उपरोक्त परिशिष्ट-एक (एक) परिशिष्ट-एक (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

#### परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

- सिस्टम एनालिस्ट तथा प्रोग्रामर (System Analyst and Programmer)** के पद के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
  - www.mponline.gov.in
  - www.mppsc.com
  - www.mppsc.nic.in
- आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फ़ोन नंबर सहित उपलब्ध है।
- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया,

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, श्रेणी, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
- आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
- आवेदक यह सुनिश्चित करें कि, उसके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वह परीक्षा हाल की उपस्थिति सूची, साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
- परीक्षा एवं आवेदन शुल्क**
  - मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिए आवेदन शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- कुल रुपये 90/- देय होगा।
  - शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- कुल रुपये 180/- देय होंगे।उक्त शुल्क के साथ प्रत्येक आवेदक को रु. 35 पोर्टल शुल्क देय होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये कुल शुल्क

शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए कुल शुल्क

90/- रुपये

180/- रुपये

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा।

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन से निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

**फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री) मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980**  
आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा-

- आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
  - किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।
- नोट:-** यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें:-
- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983**  
**एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरुपम शांति माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026**  
**फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री) मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980**
- आवेदन की अंतिम तिथि**  
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 04.10.2010 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।
  - आवेदक को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार हेतु उन्हें आवेदकों को आयोग द्वारा निर्धारित समयवधि में निम्न प्रमाण-पत्रों को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा-  
**आयु संबंधी प्रमाण के लिये-** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।  
**शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र-** हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचीयाँ।

**अनुभव के प्रमाण-पत्र-** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक द्वारा धारित पद, उक्त पद पर कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग करने का प्रमाणन तथा कार्य की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने कार्य सेवा विवरण का स्पष्ट उल्लेख करें। जिन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा 5 अथवा 2 वर्षों के कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग अनुभव होने का उल्लेख किया है किन्तु कार्य अनुभव विवरण में पूर्ण विवरण की प्रविष्टि नहीं की गयी है उन्हें अपूर्ण आवेदन मानते हुये निरस्त किया जायेगा।

**जाति के प्रमाण पत्र-**  
**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)** जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्राथमिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएँ जाति प्रमाणन हेतु पिता के नाम युक्त**

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

**परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-2)** के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परिव्रजिता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-3 से 5 तक)** के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोजित अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

**परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-1)** के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

**परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-2)** के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

**परिशिष्ट-एक की कंडिका-(दो-3)** के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, अथवा जो लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिचयन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोजन से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने के संबंध में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

#### 6. अनुशासनिक निर्देश

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो

- जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- प्रतिरूपण किया हो; या
- किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- कूटचित्त अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
- परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
- परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
- परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
- उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
- परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

#### अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

- (क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहराया जाने का दावी हो सकेगा और/या
- (ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-  
(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;  
(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और
- (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -  
(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और  
(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

#### 7. अनर्हताएँ:-

ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित श्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

#### 8. प्रवेश पत्र

- किसी भी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।
- प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5/- रुपये शुल्क देय होगा।
- यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग से संपर्क करें।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शांतिग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड,

भोपाल-422026

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)

मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए) तनमय तिवारी 3900282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980

#### 9. यात्रा व्यय का भुगतान -

- मध्यप्रदेश के मूल निवासी तथा मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत न हों, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के

अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।

ऐसे आवेदक अपने वर्तमान पते के निकटतम परीक्षा केन्द्र का ही चयन करें अन्यथा उन्हें यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।

- साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

सचिव

परिशिष्ट-तीन

### आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर के अंतर्गत सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रोग्रामर के पद की लिखित परीक्षा योजना

- सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रोग्रामर पद की लिखित परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा।
- इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के राष्ट्रीय एवं मध्यप्रदेश से संबंधित 25 प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी/डाटाबेस सिस्टम, प्रिन्सीपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर वायरस, डाटाहैंकिंग से बचाव के उपाय से संबंधित 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का A, B, C, D संभावित उत्तरों वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा।
- प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगा। लिखित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए मायनस मार्किंग किया जायेगा। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जायेगा।
- लिखित परीक्षा में आवेदकों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर वे परीक्षा में उत्तीर्ण माने जावेंगे। पर्याप्त संख्या में आवेदक उपलब्ध न होने पर 33 प्रतिशत अंकधारी आवेदक उत्तीर्ण माने जावेंगे।
- परीक्षा में उच्चतम प्राप्तांकधारी आवेदक रिक्त पदों के तीन गुना एवं समान अंकधारी आवेदक साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किये जावेंगे।
- साक्षात्कार के कुल अंक 35 निर्धारित है।
- साक्षात्कार उपरांत चयनफल साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के मरि्ट क्रमानुसार घोषित किया जायेगा।
- लिखित परीक्षा, परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप  
(1) इंदौर (2) भोपाल में आयोजित की जा सकेगी।

परीक्षा नियंत्रक